फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

ग्राम पंचायत पुनावली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पुनावली, पं. स. बडीसादडी

बनाम

महिला एवं बाल विकास विभाग बडीसादडी वगैरा

कार्यवाही :– अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा. दी.

प्रकरण संख्या 04/2025 (विविध)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.11.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। प्रकरण में दिनांक 16.10.2025 को विपक्षी की ओर से जवाब पेश हो चुका है। अतः बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी/निगराकार ने विपक्षी महिला एवं बाल विकास विभाग को जारी पट्टे को निरस्त कराने हेतु एक निगरानी आप न्यायालय में प्रस्तुत कर रखी थी जिसमें विपक्षी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जा चुका था तथा प्रकरण अंतिम बहस की स्टेज पर लम्बित था। उक्त प्रकरण में अधिवक्ता श्री भारत भूषण प्रधान पैरवी कर रहे थे तथा अधिवक्ता श्री भारत भूषण प्रधान के राजकीय सेवा में चयन हो जाने से वे माननीय न्यायालय में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हो सके तथा ना ही इसकी जानकारी प्रार्थी ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जिससे उक्त प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। उक्त प्रकरण खारिज होने की जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं थी बाद में न्यायालय में जानकारी करने पर प्रकरण खारिज होने की जानकारी हुई तथा दिनांक 17.12.2024 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर दिनांक 24.12.2024 को प्रमाणित नकलें प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल निगरानी प्रकरण संख्या 11/2019 (नि.पं.) को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान करावें। बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, बडीसादडी ने जवाब पेश किया कि आंगनवाडी केन्द्र करोली विभाग का आंगनवाडी भवन, विद्यालय प्रांगण में बना हुआ है। इस कारण विभाग को अब इस पट्टे की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पट्टा निरस्त करे या पट्टा किसी अन्य को देवे तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।	

.....लगातार

	हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। चूंकि प्रार्थी/निगराकार के अधिवक्ता ने नियत तारीख पेशी पर पैरवी कर रहे अधिवक्ता के राजकीय सेवा में चयन हो जाने से पैरवी पे उपस्थित नहीं हो सकने तथा इसकी जानकारी ग्राम पंचायत को उपलब्ध नहीं कराने से प्रकरण अदम हाजरी में खारिज होने का कथन किया है किन्तु कथन की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी सहानुभूति रखते हुए न्यायहित में प्रकरण संख्या 11/2019 (नि.पं.) निर्णय दिनांक 20.09.2024 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल प्रकरण संख्या 11/2019 (नि.पं.) के संलग्न की जावे।	